

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 74 / 2009

दायर दिनांक 02.04.2009

	उनवान	
टोलू	बनाम	मगनीराम

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 13.08..2020

—:निर्णय:—

पतरावली पक्षकारान में राजीनामा हो जाने से वाद खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र पर सिगेह से तलब हुई। वादी मिठुलाल मय अधिवक्ता श्री हरीश तुलछिया उपस्थित। हाजिर होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया की उक्त प्रार्थना पत्र\वाद पत्र में हम पक्षकारान में राजीनामा हो जाने से कार्यवाही नहीं चाहते है। प्रार्थना पत्र की इबारत पढ़कर सुनाई गयी सुन समझ पर वादी ने स्वीकार की राजीनामा स्वीकार किया जाता है। वाद तस्दीक शा० फ़ा० रहे। पतरावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अतः पतरावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। आदेश सुनाया गया।



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

